न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 163/2011 (2011/00087) जिला–नागौर

छोटूराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी ग्राम ईन्दावड, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता जिला नागौर।
2. ग्राम पंचायत ईन्दावड जरिये सरपंच पंचायत समिति मेड़ता जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 18–03–2011
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 95/2011
बउनवान आमजनता ग्रामवासी इन्दावड बनाम तहसीलदार मेड़ता

––––

उपस्थित–
1. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री रामसुख चौधरी प्रत्यर्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः– 13–02–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ईन्दावड तहसील मेड़ता में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2514,2515 गै0 मु0 गोचर एवं खसरा नम्बर 2517, 2522, 2513 गै0मु0 आबादी तथा खसरा नम्बर 2506 गै0मु0 शमशान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है इसी अनुसार गै0मु0 गोचर एवं आबादी की राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की हुई है। परन्तु प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 केम्प ईन्दावड में ग्रामवासियान द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि एवं गोचर भूमि की तरमीम करवाए जाने का निवेदन उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को किया। जिस पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा टीम का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त की जिसके बाद अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 18–3–2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 के द्वारा नक्शे में तरमीम करने का गैर कानूनी एवं क्षैत्राधिकार विहीन आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 अपीलार्थी को सुने बिना पारित किया है इस कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। पटवारी हल्का ने अपीलार्थी को दिनांक 9–8–2011 को ग्राम इन्दावड में यह कहा कि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 कैम्प ईन्दावड में आदेश पारित किया जिससे तुम्हारा आबादी भूमि में पट्टा शुदा रहवासी मकान अब राजस्व नक्शा ट्रेस में गै0मु0 गोचर में आ गया है। इस कारण तुम्हारे विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही हो सकती है। इस पर अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के कार्यालय में उक्त आदेश की जानकारी की एवं उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19–8–2011 को प्राप्त की इसके बाद कानूनी कार्यवाही किये जाने बाबत अभिभाषक से सलाह के बाद जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि ग्राम इन्दावड तहसील मेड़ता में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2513, 2514, व 2515 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में आबादी दर्ज है इसी कारण अपीलार्थी को ग्राम पंचायत इन्दावड़ द्वारा उक्त आबादी भूमि में रहवासी पट्टा दिनांक 30–6–66 को जारी किया गया है जिसके बाद अपीलार्थी अपने परिवार सहित मकान बनाकर निवास कर रहा है। परन्तु उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2011 व 2–6–2011 द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 30–6–66 में वर्णित भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस गैर मुमकिर गोचर दर्शा दी गई है। इस कारण अपीलार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18–3–2011 व 2–6–2011 से अपीलार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चूंकि अपीलार्थी के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया ग्रामवासियान द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि एवं गोचर भूमि की तरमीम करवाए जाने का निवेदन उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को किया। जिस पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा टीम का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त की जिसके बाद अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 18–3–2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 के द्वारा नक्शे में तरमीम करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम इन्दावड तहसील मेड़ता स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2514, 2515 गै0मु0 गोचर दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2517, 2522 व 2513 गै0मु0 आबादी एवं खसरा नम्बर 2506 गै0मु0 शमशान दर्ज है परन्तु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 केम्प इन्दावड में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 29–1–2011 के आधार पर आदेश दिनांक 18–3–2011 पारित किया गया है जिसमें निम्न आदेश पारित किया है :–

ग्राम इन्दावड के खसरा नम्बर 2516 गै0मु0 गोचर के बीच में सेटलमेंट द्वारा की गई तरमीम को क्रोस करते हुए नक्शे में लाल स्याही से दर्ज नई शुद्धि तरमीम के अनुसार तरमीम किए जाने के आदेश दिये जाते है।

खसरा नम्बर 2517 रकबा 5.92 हैक्टर आबादी भूमि में से 0.14+0.51 कुल 0.65 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 2522 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि कुल 0.70 हैक्टर भूमि आबादी गोचर भूमि व खसरा नम्बर 2516 रकेबा 12.09 हैक्टर गोचर भूमि में से 0.70 हैक्टर भूमि गोचर से आबादी भूमि रेकार्ड में दर्ज किये जाने व इसी अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खसरा नम्बर 2506 रकबा 0.49 गै0मु0 शमशान से गै0मु0 गोचर व खसरा नम्बर 2514 रकबा 11.20 गै0मु0 गोचर में से 0.49 हैक्टर भूमि गै0मु0 शमशान की भूमि नक्शे व रेकार्ड में शुद्धि किए जाने के आदेश दिये जाते है।

जबकि गै0मु0 गोचर से आबादी भूमि एवं आबादी से गै0मु0 गोचर भूमि तथा गै0म0 गोचर से गैर मु0 शमशान एवं गै0मु0 शमशान से गै0मु0 गोचर भूमि दर्ज करने का या किस्म परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी प्रकार से उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को नहीं था। इस प्रकार उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2011 क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किये जाने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने गैर कानूनी आदेश पारित किया इसके बाद पुनः संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 पारित किया जिसमें आदेश दिनांक 18–3–2011 के पैरा संख्या 1 में निम्न संशोधन किया गया–ग्राम इन्दावड के खसरा नम्बर 2516 गै0मु0 गोचर के स्थान पर खसरा नम्बर 2514 गै0मु0 गोचर व 2517 गै0मु0आबादी के बीच की लाईन को क्रोस करते हुए नक्शे में लाल स्याही से दर्ज नई शुद्धि तरमीम के अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। बकाया आदेश पूर्वत रहेगा। इसी आशय का संशोधन आदेश जारी हो। प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 केम्प इन्दावड में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष ग्रामवासीयान ईन्दावड के कुछ ऐसे अतिक्रमणकारी व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र गै0मु0 आबादी से गैर मु. गोचर एवं गै0मु0 गोचर से गै0मु0 आबादी एवं गै0मु0 शमशान की भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। जिससे कि उनके द्वारा अतिक्रमण को नक्शे में गै0मु0 आबादी दर्ज किये जाने से उनके अतिक्रमण नियमन हो सके। अपीलार्थी का उक्त पट्टा राजस्व नक्शा ट्रेस में अब गैर मु0 गोचर भूमि में दर्शा दिया गया है जो कि अवैधानिक है इससे अपीलार्थी के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। ग्राम इन्दावड के प्रभावशाली व्यक्तियों जिन्होंने कि गै0मु0 गोचर एवं गै0म0 शमशान की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उनको नाजायज तौर पर फायदा पहुंचाने की नियत से पारित किया गया है इससे ग्राम इन्दावड के तालाब की कदीमी पाल, कब्रिस्तान, गांवाई बेरा एवं गोचर भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में आ जायेगी। जिससे ग्रामवासियान इन्दावड के अधिकार प्रभावित होंगे। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने आदेश दिनांक 18–3–2011 व

संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है जबकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही संशोधित किया जा सकता है जबकि उक्त आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि की किस्म ही परिवर्तित कर दी गई है एवं रकबा भी कम एवं ज्यादा गैर मुमकिन गोचर , गै0मु0 शमशान एवं गै0मु0 आबादी में दर्ज किया गया है। जो धारा 136 एल.आर. एक्ट में वर्णित कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा विधि अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर तहसीलदार मेड़ता से रिपोर्ट प्राप्त कर मौके की जांच करवाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है उसमें पट्टा नम्बर अंकित नहीं है तथा पट्टे पर सरपच के हस्ताक्षर के नीचे मोहर भी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत का नाम नहीं है। इसे पट्टा नही माना जा सकता है । जिन ग्रामवासियों ने प्रार्थना पत्र दिया इस अपील में अपीलार्थी ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। पंचायत अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (1) मे स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा करने से पहले 60 दिन का लीगल नोटिस देना जरूरी है इसके बिना अपील नहीं चल सकती है।

उनका यह भी तर्क है कि ग्रामवासियों के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी ने टीम गठित की। मौका भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट बनाई उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह 10 व्यक्तियों के बयान लिये। विवादित भूमि पर आबादी मकान है वहां अभी रेकार्ड में गौचर कर रखी है जहां पर गौचर है वहां आबादी का अंकन हो चुका है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उल्लेखित है कि ग्राम इन्दावड के पुराने खसरा नम्बर 817 में 152.10 बीघा भूमि गोचर व अंगोर की भूमि

थी तथा इसी खसरा नम्बर 817 में 60 बीघा भूमि आबादी भूमि थी इस खसरा नम्बर 817 में अंगोर गोचर भूमि व आबादी भूमि के बीच में पुराने समय से ही एक मेड बनी हुई थी इस मेड से उत्तरी पूर्वी दिशा में गांव व बाड़े आबादी भूमि थी तथा इस मेड़ से पश्चिमी दक्षिणी दिशा की तरफ अंगोर गोचर नाडी की भूमि थी। गांव का गन्दा पानी नाडी में नहीं जा सके इसलिए ग्रामवासियों द्वारा इस मेड की समय–समय पर रिपेयर भी करते थे। मेड़ के उत्तरी पूर्वी दिशा में आबादी भूमि तथा पश्चिमी दक्षिणी तरफ अंगोर गोचर नाडी की भूमि रही है। इस पुराने खसरा नम्बर 817 के नये खसरा नम्बर 2513 गै.मु.आबादी, 2514 गै.मु. गोचर, 2515 गैर.मु. सड़क, 2516 गै0मु0गोचर, 2517 गै.मु.आबादी, 2522 गै.मु.आबादी बने है। इनमें से खसरा नम्बर 2515 रकबा 2.30 गै0मु0 सड़क की भूमि है तथा खसरा नम्बर 2513, 2517 गै0मु0 आबादी है व खसरा नम्बर 2514, 2516 गै0मु0 गोचर भूमि है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2513, 2517 व खसरा नम्बर 2514, 2516 के बीच में नये सेटलमेंट में जो तरमीम की है उसके अनुसार जहां पर पुराने समय से घर आबादी बसी हुई है उस स्थान को गोचर भूमि दर्ज किया है तथा जो जगह गोचर की खाली पडी भूमि है उस जगह पर आबादी तरमीम की है इस प्रकार सेटलमेंट की उक्त तरमीम सही नहीं है सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी मेड़ता को प्रेषित की गई थी। ग्रामवासियों द्वारा भी अपने बयानों में मेड के बाहर पश्चिमी तरफ आबादी भूमि नहीं होने का कथन किया है ग्राम ईन्दावड तहसील मेड़ता में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2514, 2515 गै0 मु0 गोचर एवं खसरा नम्बर 2517, 2522, 2513 गै0मु0 आबादी तथा खसरा नम्बर 2506 गै0मु0 शमशान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है इसी अनुसार गै0मु0 गोचर एवं आबादी की राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की हुई है। परन्तु प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 केम्प ईन्दावड में ग्रामवासियान द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि एवं गोचर भूमि की तरमीम करवाए जाने का निवेदन उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को किया। जिस पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा गिरदावर व पटवारी की टीम का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त की पटवारी हल्का की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 29–01–2011 एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित दिनांक 10–3–2011 द्वारा नक्शे में तरमीम करने की अनुशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 18–3–2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 पारित कर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण के आदेश पारित किये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के नाम सरपंच द्वारा जारी पट्टा जो दिनांक 30–6–60 को जारी किया गया है उसमें सरपंच के हस्ताक्षर के नीचे सील नहीं है तथा न ही उक्त पट्टे में कोई खसरा नम्बर ही अंकित है कि किस खसरा नम्बर में से पट्टा जारी किया गया है तथा कितनी भूमि पट्टे में अंकित है। सरपंच द्वारा जारी पट्टे में पुस्त पर केवल दिशाएं ही अंकित है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि ग्राम इन्दावड के किस खसरा नम्बर में से पट्टा जारी किया गया है ऐसी स्थिति में पट्टा संदिग्ध प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में .अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे ट्रेस में तरमीम

करने के आदेश दिनांक 18–3–2021 एवं 2–6–2011 पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–3–2011 एवं संशोधित आदेश दिनांक 2–6–2011 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 95/2011 आमजनता ग्रामवासी इन्दावड बनाम तहसीलदार मेड़ता विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर